राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पाईप/2017–18/ 1784–2002 दिनांक : 17/05/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.....

विषयः– वर्ष 2017–18 मे विभिन्न योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप लाईन कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– कृषि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 434–594 दिनांक 24.04.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में सिंचाई पाईप लाईन कियान्वयन के कम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2017–18 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रकिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2017 में शिविर आयोजित कर कृषकों से सिंचाई पाईप लाईन के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि
दिनांक : 17-05-2017

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पाईप/2017–18/ 1784-2002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त..... ।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि (वि.), रा.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. समस्त परियोजना निदेशक/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
24. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

17.5.2017
(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

सिंचाई पाईप लाईन पर अनुदान के मुख्य प्रभावी बिन्दू

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम योजनान्तर्गत कियान्वित कार्यकम।
- राज्य के समस्त जिले जहॉ सिंचाई जल स्त्रोत निर्धारित हो।
- कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि।
- भारत सरकार द्वारा जारी समस्त श्रेणी के कृषको को सिंचाई पाईप लाईन पर देय अनुदान का विवरण :–

सिंचाई पाईप लाईन पर अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपयें 0.15 लाख, जो भी कम हो		
एचडीपीई पाईप	पीवीसी पाईप	एचडीपीई लेमिनेटेड ले–फ्लेट ट्यूब पाईप
रू. 50/– प्रति मीटर	रू. 35/– प्रति मीटर	रू. 20/– प्रति मीटर

- आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य।
- जिले को आवंटित लक्ष्यो का उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिलें में स्थित उप जिलेंवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा कृषि निदेशालय से आवंटित लक्ष्यो की समीक्षा की जाकर विभाजन प्रत्येक ब्लाक एवं ग्राम पंचायतवार किया जावेगा।
- सिंचाई जल स्त्रोत से उपयोग में लिये जा रहे पाईप क्षेत्र में स्थापित होने से पूर्व व स्थापित होने के बाद जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते मे जमा।
- निर्धारित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से।
- सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र,
  - कुल लक्ष्यो में से,
    - अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत,
    - अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत,
    - लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावे।

*उपरोक्त संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखते हुये संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2017–18

सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में उपलब्ध जल के कुशलतम् उपयोग के दृष्टिकोण से जल संरक्षण कर अधिक क्षेत्र मे सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में सिचाई पाईप लाइन के उपयोग से 20 से 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है।

अनुदान हेतु पात्रता : –

1. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है, वे अनुदान के पात्र होगें। सामलाती कुँए पर अलग–2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग–2 पाईप लाइन पर अनुदान की मॉग करते है तो अलग–अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग–अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग–2 अनुदान देय होगा।
2. कृषि विभागीय योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स्त्रोत होने पर भी अनुदान देय होगा।
3. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
4. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।
5. जिले को आवंटित लक्ष्यों मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से पूर्ण कराये जावे। जिले में कृषक द्वारा पीवीसी पाईनलाइन कय किये गये पाइपों को भूमि में दबाये जाने का श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से कराये जाने पर प्राथमिकता प्रदान की जाकर लक्ष्यों की पूर्ति की जावें।
6. महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कंमांक प8(5)आ.कृ./ज. उ/नरेगा/2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।
7. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बॉध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु पाईप लाइन पर अनुदान देय होगा।
8. जिन कृषकों के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाइन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर एक प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह बिना सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक को अपने सिंचाई स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराता रहेगा।
9. लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों की श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के अभाव में सहायक निदेशक, कृषि (वि.)/उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् अपने स्तर